Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **पाली में ग्राम विकास अधिकारी 40 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *24 नवम्बर।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर पाली द्वितीय इकाई द्वारा आज बुधवार को कार्यवाही करते हुये मुकेश माली ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत रास अतिरिक्त प्रभार ग्राम पंचायत अमरपुरा, पंचायत समिति जैतारण, जिला पाली को परिवादी से 40 हजार रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की पाली द्वितीय इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि प्रशासन गांवों के संग अभियान में उसके रिहायशी बाड़े के तीन पट्टे बनाने की एवज में मुकेश माली ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत रास अतिरिक्त प्रभार ग्राम पंचायत अमरपुरा, पंचायत समिति जैतारण, जिला पाली द्वारा प्रत्येक पट्टे के 60 हजार रुपये के हिसाब से कुल 1 लाख 20 हजार रुपये की रिश्वत राशि मांगकर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी पाली द्वितीय इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री महिपाल** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **पुलिस निरीक्षक श्री सीताराम बुनकर** एवं उनकी टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये मुकेश माली पुत्र श्री भंवरलाल निवासी केकीन्दड़ा, पुलिस थाना कालू, जिला पाली हाल ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत रास अतिरिक्त प्रभार ग्राम पंचायत अमरपुरा, पंचायत समिति जैतारण, जिला पाली को परिवादी से **40 हजार रुपये की रिश्वत** लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी, जोधपुर के उप महानिरीक्षक पुलिस श्री कैलाश विश्नोई के निर्देशन में आरोपी के आवास एवं अन्य ठिकानों की ए.सी.बी. टीमों द्वारा तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।